रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 557] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 1997/आश्विन 7, 1919
No. 557] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 1997/ASVINA 7, 1919

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1997

सं. 51/97—(एन. टी.)सीमा-शुल्क

का. आ. 689 (अ.).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 62/94 (एन. टी.)—सीमाशुल्क, तारीख 21 नवम्बर, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, गुजरात से संबंधित क्रम सं. 5 के सामने, वादिनार पत्तन से संबंधित मद (28) के सामने, स्तंभ (4) में, की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(क) निम्नलिखित आयातित माल की उतराई, अर्थात् :—

(i) अपरिष्कृत पेट्रोलियम;

(ii) एसर आयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए आयातित मशीनरी और उपस्कर (जिसके अंतर्गत परियोजना आयोजन भी है);

(ख) एसर आयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए आयातित मशीनरी और उपस्कर की लदाई।"

[फा. सं. 574/19/95-एल. सी.]

के. चौपड़ा, अवर सचिव

पाद टिप्पण :—मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र की अधिसूचना सं. 62/94 (एन. टी.) सीमाशुल्क, तारीख 21 नवम्बर, 1994 (का. आ. 829 अ), तारीख 21-11-1994, में प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 1997

No. 51/97 (NT)—CUSTOMS

S.O. 689 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 62/94(NT)-Customs, dated the 21st November, 1994, namely :—

In the Table annexed to the said notification, against serial number 5 relating to Gujarat, against item (28) relating to Vadinar Port, in column (4), for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"(a) Unloading of following imported goods, namely :—

(i) Crude Petroleum,

(ii) machinery and equipment (including Project imports) imported for Essar Oil Refinery Project;

(b) Loading of machinery and equipment imported for Essar Oil Refinery Project."

[F. No. 574/19/95-LC]

K. CHOPRA, Under Secy.

Foot Note :—The Principal Notification was published in the Gazette of India vide Notification No. 62/94(NT)-Customs, dated 21st November, 1994 (S.O. 829(E) dated 21-11-1994.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997